COVID-19
MOST
URGENT
e-mail

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चित्तौड़गढ

क्रमांक/विकास/कोरोना/2020/ 621 दिनांक 19 अप्रेल, 2020

आदेश

कोराना संक्रमण (कोविड–19) एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक/40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांक 15.04.2020 एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक/प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 15.04.2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है। इन निर्देशों के क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में अभी तक एक भी कोरोना पोजीटिव केस नहीं होने के दृष्टिगत इसको ग्रीन जोन माना गया है। अतः उक्त संदर्भित आदेशों के दृष्टिगत चित्तौड़गढ़ जिले में लॉकडाउन अवधि दिनांक 20.04.2020 से 03.05.2020 तक चित्तौड़गढ़ जिले में लॉकडाउन के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :

A. सामान्य निर्देश :

i- लॉकडाउन अवधि में ईकाइयों/व्यक्तियों को जारी की गई सभी स्वीकृतियां और पास लॉकडाउन अवधि समाप्ति 03 मई, 2020 तक स्वतः बढ़े हुए माने जायेगे या उस दिनांक तक जो कि पास व्यवस्था लागू करने के लिए पृथक से विशिष्ठ रूप से निर्दिष्ट की गयी हो या जब तक कि निरस्त नहीं किये गये हो, परन्तु जब तक कि निर्दिष्ट नहीं किया जावे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ii- बाजार में अनुमत वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय पूर्ववत यथावत रहेगा। डोर टू डोर सेवाएं यथा– फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर, दुग्ध उत्पाद आदि पूरे समय के लिए खुली रहेगी।

iii- उपभोक्ताओं द्वारा सामान क्रय करने हेतु बाजार में आने –जाने के लिए वाहनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध पूर्ववत यथावत रहेगा।

iv- जो प्रतिष्ठान/दुकानें/सेवाएं सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत् खुलने के लिए अनुमत नहीं है उनके खुली पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

B. प्रतिबन्ध (Restrictioins) :

सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ राजस्व जिले में दिनांक 20 अप्रेल, 2020 से 03 मई, 2020 तक निम्न प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक/न्याय/आदेश/17–2() 2020/599 दिनांक 18.03.2020 संख्ययक आदेश क्रमांक 131 दिनांक 22.03.2020, 138 दिनांक 31.03.2020 एवं 148 दिनांक 14.04.2020 द्वारा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध सहित अन्य जारी प्रतिबन्ध प्रभावी रहेंगे।

(2) निषिद्ध गतिविधियां : सम्पूर्ण जिले में निम्नलिखित गतिविधियों पर निषेध जारी रहेगा :

(i) सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर, ट्रेनों के द्वारा सभी यात्री आवागमन।

19/4/20

(ii) सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें।

(iii) चिकित्सीय कारणों को छोडकर या इन दिशा निर्देशों के तहत् अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन।

(iv) सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन अध्यापन/कक्षाओं को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जायेगी।

(v) इन दिशा निर्देशों के तहत् विशेष रूप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां।

(vi) इन दिशा निर्देशों के तहत् विशेष रूप से अनुमत आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाऐं/होटल आदि।

(vii) टैक्सी (ओटो रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा सहित), कैब समूह सेवाऐं (Cab Aggregators Services)

(viii) सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार एवं एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।

(ix) सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह।

(x) सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए बन्द रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

(xi) अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जायेगी।

C. <u>सामान्य सावधानियां (Common Prescriptions) :</u>

सभी क्षेत्रों एवं जिले के लिए निम्नलिखित मानक सावधानियां एवं प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :

सार्वजनिक स्थान (Public Space) :

(i) सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

(ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।

(iii) सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन/प्रबन्धक पांच या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा।

(iv) विवाह और अन्त्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से किए जायेंगे।

(v) सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(vi) शराब, गुटका, तम्बाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और थूकना पूरी तरह से प्रतिषेध होगा।

19/5/20

कार्यस्थल (Work Spaces) :

(i) सभी कार्य स्थलों में तापमान जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ii) कार्य स्थलों पर पारियों के मध्य एक घण्टे अन्तराल होगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियेां के लंच ब्रेक में अन्तराल दिया जायेगा।

(iii) 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति और सहरूगणता वाले व्यक्ति तथा ऐसे माता पिता जिनके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों को घर से कार्य (Work of Home) करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(iv) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को "आरोग्य सेतु ऐप" का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(v) सभी संगठन पारियों के मध्य में उनके कार्य स्थलों को सेनेटाईज करेंगे।

(vi) बडी सभाएं निषिद्ध रहेंगी।

विनिर्माण प्रतिष्ठान (Manufacturing Establishments) :

(i) आम सतहों की बार बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई अनिवार्य होगी।

(ii) पारियों का अधिव्यापन (Overlap) नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जायेगा।

(iii) अच्छी स्वच्छता विधियों पर सघन संचार एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा।

समस्त इंसीडेन्ट कमांडर एवं सक्षम प्राधिकारी उपर वर्णित सामान्य निर्देशों, प्रतिबंधों एवं सामान्य सावधानियों को, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में वर्णित जुर्माना एवं दाण्डिक कार्यवाहियों के माध्यम से लागू करना सुनिश्चित करेंगे।

D. <u>संशोधित लॉक डान के दौरान अनुमत गतिविधियां (20 अप्रेल से 03 मई, 2020 तक) :</u>

i- इस गाईड लाईन्स में वर्णित कोई भी छूट हॉट स्पॉट के रोकथाम क्षेत्रों (Containment Zone) व क्लस्टर्स, जैसे कि कर्फ्यू वाले इलाके, यदि घोषित किए जाते हैं तो, उसमें लागू नहीं होंगे।

ii- निर्दिष्ट प्रतिबंधों के साथ नीचे वर्णित ऐसे कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानें आदि इस अवधि में खुले रहेंगे। अन्य सभी इकाईयां और प्रतिष्ठान जो नीचे निर्दिष्ठ नहीं है, बन्द रहेंगे।

iii- "अनुमत" श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान/सेवाओं के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी (जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख नहीं हो) निम्नलिखित शर्तों के अध्ययीन खुले/संचालित रहेंगे:

1. ऐसी ईकाइयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा बुनियादी एहतियाती निर्दिष्ट निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
2. जिला प्रशासन/विभाग/स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा किउक्त मानकों/एहतियातों की पालना की जा रही है।

19/4/20

3. कोई भी यूनिट जिसके द्वारा शर्तों की पालना नहीं की जा रही है, बन्द कर दी जायेगी एवं उसके विरूद्ध केस दर्ज होगा।

4. कोई दुकान, कारखाना, प्रतिष्ठान आदि जो अनुमत श्रेणी में नहीं है और लॉकडाउन के अन्तर्गत जारी किए आदेशों की अवहेलना करते हुए खुली पाई जावे, के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5. किसी को संशय हो कि उसकी इकाई "अनुमत" श्रेणीमें है या नहीं, वह जिला प्रशासन से स्पष्टीकरा प्राप्त कर सकता है। कारखाने के प्रकरण में उद्योग विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा।

iv. इस कार्यालय द्वारा **"हाट-स्पॉट"** (संवेदनशील स्थान)/कर्फ्यू क्षेत्र/'क्लस्टर्स' के लिए विशेष आदेश जारी किए जाने की दशा में वह विशेष आदेश नीचे दिए गए किसी भी निर्देशों पर प्रभावशील रहेंगे।

1- चिकित्सा :

(a) सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालय एवं उससे संबंधित चिकित्सा संस्थान जैसे किडिस्पेंसरी, लैबोरेट्रीज, क्लीनिक्स, नर्सिंग होम्स, आयुष (आयुर्वेद, युनानी, हौम्योपेथिक आदि) पशु चिकित्सालय एवं औषधीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं आदि पूरी तरीके से कार्यरत रहेंगी।

(b) ऑप्टिशियन्स एवं ऑप्टिकल दुकाने (मात्र इमरजेंसी कार्य हेतु न्यूनतम स्टाफ)

पास की व्यवस्था : किसी भी चिकित्सा वाहन, किसी भी प्रकार की ऐम्बूलेंस तथा चिकित्सा स्टॉफ के निजी वाहनों के अवागमन के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी पहचान पत्र (राजकीय या निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान द्वारा जारी) पर्याप्त होगा।

पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी चिकित्सा कार्मिकों, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टॉफ का आवागमन तथा अस्पताल की अन्य सहायक सेवाओं का परिवहन बिना व्यवधान के जारी रहे।

2- सरकारी कार्यालयों (स्वयत्तशाषी / अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक निगम सहित) :

(I) राज्य सरकार (State Government) :

कार्यालय समय में सभी कार्यालय निम्नानुसार खुले रहेंगें एवं उपर वर्णित निर्देशों एवं सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे :

1- आवश्यकता के आधार पर निम्न विभाग और उनके क्षेत्रीय कार्यालय स्टॉफ की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के संचालित होंगे :-

a. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद (आयुष)
b. गृह पुलिस होम गार्डस, सिविल डिफेस, जेल और एफएसएल
c. वित्त, कोषालय तथा सभी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान सहित आवश्यकता के अनुसार स्टॉफ के साथ
d. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राहत एवं आपदा प्रबन्धन, आवश्यकता के अनुसार स्टॉफ के साथ
e. कृषि, कृषि विपणन बोर्ड सहित कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसिया- आवश्यकता के अनुसार
f. सहकारिता आवश्यकता के अनुसार

19/4/20

g. सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग आवश्यक ऑनलाईन सेवाओं के संधारण के लिये जैसी आवश्यकता हो।
h. ऊर्जा विभाग (सभी निगमों सहित) आवश्यक सेवाओं के लिये संधारण के लिए जैसा आवश्यक हो।
i. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग– आवश्यक सेवाओं के संधारण के लिये, जैसा आवश्यक हो।
j. स्वायत्त शासन विभाग (सभी नगरीय निकायो सहित) आवश्यक सेवाओं से संबंधित।
k. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसार कि अनुमत गतिविधियों के लिये आवश्यक हो।
l. उद्योग विभाग,रीको सहित – जैसा आवश्यक हो।
m. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग , जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत सहित– अनुमत गतिविधियों से संबंधित समस्त स्टॉफ ।
n. वन विभाग कार्यालय – चिडियाघर, नर्सरी, वन्यजीव, दावानल शमन सेवाएं वृक्षारोपण, पेट्रोलिंग एवं परिवहन के लिये आवश्यक कर्मचारी/श्रमिक।
o. स्टेट मोटर गैराज – आवश्यकता अनुसार केवल आवश्यक स्टाफ
p. सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग–
q. जिला प्रशासन– जैसा आवश्यक हो।

2- अन्य विभाग एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय निम्नानुसार खुले रहेंगे :

(i) जिला स्तर कार्यालय–जिला स्तरीय अधिकारी एवं उनके तत्काल अधीनस्थ कार्मिक तथा शेष एक तिहाई आधार पर

(ii) जिला कार्यालयों के नीचे के कार्यालय –
सभी स्टाफ जो कार्यालय में उपस्थिति नही देंगे वे "वर्क फ्रोम होम" की स्थिति में रहेंगे तथा किसी भी समय कर्तव्य पर बुलाये जा सकेंगें।

ऐसे कर्मचारी बिना समक्ष अधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे तथा किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं कर सकेंगे।

(II) भारत सरकार (Government of India)

गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 15 अप्रेल 2020 के निर्देशो के अनुसार

पास की व्यवस्था – सभी राजकीय कर्मचारी एवं स्टाफ उनके सरकारी वाहन, ऑन ड्युटी अनुबधित वाहन या निजी वाहन से सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर घर से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से घर तक आ जा सकेंगे। पृथक से पास की आवश्यकता नही होगी। निजी वाहन के मामलों में परेशानी मुक्त आवागन के लिये राजकॉप सिटिजन एप अथवा ऑन लाईन ई'पास https://epass.rajasthan.gov.in से प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

3- दुकानें (Shops)

अनुमत दुकानों की श्रेणियों में निम्न शामिल है।

a. केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि, आयुष, पशुचिकित्सा, दवाईयां आदि।
b. किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो सभी प्रकार की खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थो (सभी अवयवों, सॉस, पैकेज फूड आदि सहित) और दैनिक आवश्यकताओं जैसे स्वच्छता उत्पाद, हैण्डवाश,

19/4/20

साबुन, बॉडी वाश, शैम्पू, क्रीम पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेट्री पेड्स, डायपर, कीटाणु–नाशक, सरफेश क्लीनर, डिटर्जेन्ट , चार्जर एवं बैट्री सेल इत्यादि का विक्रय करते है।

c. फल एवं सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकिन एवं फिश।
d. पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुडे हुये संबंधित विक्रय केन्द्र।
e. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वकर, कीट नाशक कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण।
f. कृषि मशीनरी यंत्रो, उपकरणो के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें।
g. रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय आदि– केवल होम डिलीवरी।
h. विशेष रूप से राजमार्गो पर ट्रको की मरम्मत के लिये कार्यशाला/दुकाने।
i. उचित दूरी पर टायर, पंक्चर/रिपेयर की दुकानें।
j. राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे(जैसे–40 किमी) पर आउट डोर खाने की सुविधा के साथ।
k. सभी प्रकार के वाहनो के लिए अधिकृत कम्पनी सेवा/मरम्मत केन्द्र।
l. अनुमत परिवहन वाहनो के लिए स्पेयर पार्टस की दुकानें।

नोट :

1. होम डिलीवरी पर जोर दिया जायेगा। अनुमत दुकानें ये सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी व्यवस्थाऐं हैं तथा यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में जिला प्रशासन से सहायता प्राप्त कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित एंव लान्च किये गये ऑनलाईन एप का उपयोग किया जावे। दुकानों पर न्यूनतम आवाजाही हो।

2. दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको बिक्री नहीं की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा।

3. एक समय पर छोटी दुकान में 2 से अधिक एंव बडी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुये दुकान के बाहर पंक्ति में अपवनी बारी की प्रतिक्षा करेंगे।

पास की व्यवस्था – दुकानों के मालिकों तथा दुकानों का स्टाफ, जो होम डिलीवरी में नियोजित हैं सहित, को जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा पास जारी किऐ जायेगें। राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in से प्राप्त करने पर भी पास के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

4- सेवाऐं (Service)

a. <u>होम डिलीवरी/कूरियर सर्विस :</u>

समस्त आवश्यक (essential) आईटम/वस्तुओं की होम डिलिवरी करने वाली कम्पनियां शामिल होगी। इसमें इनके कार्यालय, भण्डार गृह एवं होम डिलीवरी हेतु व्यक्तियों की सम्पूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है। आपूर्ति मे लगे कर्मी द्वारा मास्क, दस्तानें एवं सेनेटाईजर जैसे सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित किया जावे।

19/4/20

पास की व्यवस्था– ऐसी सभी कम्पनियों अधिकार पत्र दिये जायेगें । ऐसी कम्पनियां जो राष्ट्रीय/राज्यस्तर पर संचालित होती है, को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से अधिकार पत्र या पास प्राप्त करेगें तथा जो कम्पनियां जिला स्तर पर संचालित है, उनको जिला कलक्टर के स्तर से पास प्राप्त करना होगा।

ऐसी कम्पनियों के डिलीवरी बॉय कम्पनी की यूनिफार्म मेंहोंगे एवंकम्पनी का वैध अधिकृत पत्र एवं पहचान पत्र साथ रखेंगे। ऐसी अधीकृत कम्पनियों/सेवा प्रदाता ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in से "एकसमान पास" प्राप्त करेगे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये किसी भी अन्य होम डिलीवरी प्रणाली/कर्मियों के लिये जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करते हुये व्यक्तिगत पास जारी किये जायेंगे।

b. <u>उपयोगिता सुविधाऐं (Utility Services) :</u> स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सुविधाऐं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, लॉन्डरी एवं धोबी आदि।

पास की व्यवस्था– राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेंगे।

C. **निजी सुरक्षा सेवाऐं एवं सुविधा प्रबन्धन सेवाऐं (Private Security Services and Facilities Managemant Services) :** कार्यालय तथा रिहायशी कॉम्पलैक्स के रख–रखाव एवं मरम्मत के लिये, सेवा देने वाला कार्मिक यूनिफार्म में होना चाहिए तथा कम्पनी का पहचान पत्र लेकर चलेगा।

पास की व्यवस्था – राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेंगे।

5- वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान (Commercial and other Institutions)

a. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम

बैक संचालन के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिग अभिकर्ता और एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज।

पास व्यवस्था : कुछ समय के लिये अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। तथापि शाखा प्रबंधक एक समान पास के लिए सभी अधिकृत स्टाफ के लिए ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेंगे।

b. प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं।

पास व्यवस्था : अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। राजकीय या व्यक्तिगत वाहन से यात्रा करने पर अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी

c. टेलीकम्युनिकेशन, इन्टनेट सर्विसेज, आईटी सक्षम सेवाऐं

डाटा एवं कॉल सेन्टरर्स (केवल सरकारी गतिविधियों/आवश्यक सेवाओं के लिये) जहां तक संभव हो "वर्क फ्रोम होम" किया जावे। अन्य आई टी एवं आई टी सक्षम सेवाओं के लिये 50

19/4/20

प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ और जहां तक संभव हो वर्क फ्रोम होम किया जावे। ऐसी कम्पनियां सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अधिकृत अधिकारी से अधिकार पत्र प्राप्त करेंगी।

पास व्यवस्था : कम्पनी द्वारा कम्पनी के लेटर हैड पर कर्मचारी का नाम इंगित करते हुये अधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। प्रत्येक स्टॉफ/ कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक होगा। यह सलाह दी जाती है कि परेशानी मुक्त आवागमन के लिए यह कम्पनी/सेवाप्रदाता/उनके कर्मचारी के हित में होगा कि वे राजकॉप सिटीजन एप से ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेंगे।

कम्पनी के स्वामित्व या अनुबंधित केरिजेज/वाहन जो स्टाफ के परिवहन के लिये नियोजित किये गये के लिये कम्पनी द्वारा वाहन चालक को वाहन नम्बर एवं अधिकृत रूट अंकित करते हुये अधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

d. पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा एवं स्टोरेज आउटलेट्स पास की व्यवस्था :

कम्पनी द्वारा कम्पनी के लेटर हैड पर कर्मचारियों के नाम इंगित करते हुये अधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। प्रत्येक स्टॉफ/ कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक होगा। यह सलाह दी जाती है कि परेशानी मुक्त आवागमन के लिए वे सभी अधिकृत स्टाफ के लिये राजकॉप सिटीजन एप से ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेंगे।

e. परिवहन सेवाओं के कार्यालय एंव गोदान (सामान के आवागमन के लिये)

पास व्यवस्था : सभी स्टाफ , श्रमिको एवं वाहनों के लिये ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन आरटीओ/डीटीओ को करेंगे।

f. ऊर्जा उत्पादन, सम्प्रेषण एंव वितरण ईकाइयां एवं सेवाऐं

पास व्यवस्था : कम्पनी द्वारा कम्पनी के लेटर हैड पर कर्मचारियों के नाम इंगित करते हुये अधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। प्रत्येक स्टॉफ/ कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक होगा। यह सलाह दी जाती है कि परेशानी मुक्त आवागमन के लिए वे लिये राजकॉप सिटीजन एप से ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेंगे।

g-(a) **भारत के प्रतिभूमि एवं विनियम बोर्डद्वारा अधिसूचित केपीटल एवं ऋण बाजार सेवाएं :**

(b) नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (NBFCs) – हाउसिंग फाईनेंस कम्पनियों (HFCs) सहित एवं माईक्रों फाईनेंस इन्स्टीट्यूट– न्यूनतम स्टाफ सहित।

(c) सहकारी साख समितियां।

पास व्यवस्था : जिला प्रशासन/पुलिस से प्राप्त किए जायेंगे। ऑनलाईन पास हेतु राजकॉप सिटीजन एप से ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेंगे।

19/4/20

6- उद्योग एवं कार्यशालाएं (Industries/Workshops) :

इस संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विकास/कोरोना/2020/616 दिनांक 18 अप्रेल, 2020 द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत क्षेत्रों में अनुमत उद्योगों एवं कार्यशालाओं का संचालन करना होगा।

7- भण्डार गृह एवं गोदाम (Warehouses and Godowns) :

a. सभी वस्तुओं के सभी भण्डार गृह एवं गोदाम जिनमें उनके कार्यालय तथा परिवहन कम्पनियों के डिपो शामिल है, के लिये समान चढाने एवं उतारने के न्यूनतम श्रमिक एवं कार्यालय स्टाफ
b. कोल्ड स्टोरेज

पास की व्यवस्था (स्टाफ एवं श्रमिकों हेतु) :

1. संबंधित रीको औद्योगिक क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबन्धक/क्षेत्रिय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा।
2. भारतीय खाद्य निगम/राजस्थान राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा स्वयं के या किराये पर लिये गये गोदामों के लिये
3. परिवहन वाहनों व गोदाम आदि के लिये क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा
4. अन्य सभी के लिये संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इंसीडेन्ट कमांडर द्वारा)

8- निर्माण गतिविधियां (Constructions Activities) :

a. चिकित्सा/स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण
b. ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात नगर निगमों/नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं की सीमाओं से बाहर, सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, विद्युत प्रसारण लाईनों को खड़ा करना, टेलीकॉम ऑप्टिकल फाईबर एवं केबल डालना एवं इससे जुड़ी गतिविधियां और सभी प्रकार की औद्योगिकी परियोजनाओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों सहित एवं रीको एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार की परियोजनाऐं।
c. अक्षय उर्जा परियोजनाओं का निर्माण
d. नगर निगमों/नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं की सीमाओं के अन्दर निर्माण परियोजनाओं के कार्यो की निरन्तरता जारी रखना जहां साईट पर श्रमिक उपलब्ध हैं किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नही है।
e. महानरेगा कार्य – सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता उपायों जिनमें चेहरे पर मास्क लगाना शामिल है की कडाई पालना करते हुए अनुमत होंगे। सिंचाई तथा जल संरक्षण कार्यों को महानरेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
f. सिंचाई एवं जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केन्द्रीय और राज्य योजनाओं को भी महानरेगा कार्यो के साथ सामन्जस्य स्थापित करते हुए उपयुक्त तरीके से क्रियान्वित किया जायेगा।

पास की व्यवस्था : संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इंसीडेन्ट कंमाडर द्वारा)

9- कृषि, उद्यानिकी एवं संबंद्ध गतिविधियां

सभी गतिविधियां–प्रत्यक्ष और संबंधित–अनुमत

इनमें ये भी शामिल है:

I. कृषि या उद्यानिकी से संबंधित वस्तुओं जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित अन्य सामानों की विक्रय की दुकानें
II. कृषि की सभी कटाई एवं खेती के संचालन/गतिविधियां, कृषि श्रमिकों सहित (इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये गये है)

19/4/20

III. अनाज, सब्जी एवं फल मण्डियां
IV. कृषि/उद्यानिकी उत्पादों का विक्रय–इस संबंध में जारी किये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार
V. मधुमक्खी पालन
VI. डेयरी–आपूर्ति श्रृंखला को चारा, दुध उत्पादन प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय आदि से संबंधित सभी गतिविधियां
VII. मत्स्य आखेट, जलीय कृषि उद्योग जिसमें फीडिंग एवं संधारण, कटाई संस्करण पैकेजिंग कोल्ड चैन बिक्री और विपणन शामिल है।
VIII. हैचरी, चारा संयंत्र, वाणिज्यिक एक्वेरिया
IX. पॉल्ट्री फामर्स, हैचरी और पशुधन खेती गतिविधि सहित पशुपालन
X. गौशाला एवं पशु आश्रय गृह
XI. गौण वन उत्पादों (MFP)/नोन टिम्बर फोरेस्ट उत्पादक (NTFP) का संग्रहण, हार्वेस्टिंग एवं प्रोसेसिंग– वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन क्षेत्र निवासियों द्वारा।

पास की व्यवस्था : संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इन्सीडेन्ट कमांडर द्वारा)

10- सामाजिक क्षेत्र (Social Sector) :

निम्न कार्य चालू रहेगें :

a. शिशु/दिव्यांगों/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं के लिये आश्रय गृहों का संचालन।
b. सुधार गृह देखभाल घरों तथा किशोरों के लिये सुरक्षित स्थान।

पास की व्यवस्था : संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इन्सीडेन्ट कमांडर द्वारा)

11- खनन (Mining) :

a. लिग्नाईट, लेड (जस्ता), जिंक एवं कॉनर सहित प्रमुख खनिजों का खनन।

b. खान विभाग द्वारा अनुमति अनुसार अन्य खनिजों का खनन।

c. खानों के संचालन के लिऐ विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन एवं आूपर्ति

पास की व्यवस्था : खनन विभाग के संबंधित SME द्वारा जारी

12- होटल एवं आतिथ्य सत्कार सेक्टर :

a. होटल्स, अतिथिगृह, लॉज एवं मॉल्स जिनमें लॉकडाउन के कारण फंसे हुऐ पर्यटक एवं व्यक्ति तथा मेडिकल एवं आपातकालीन स्टॉफ, वायु एवं समुद्री चालक दल ठहरे हुऐ हैं।
b. क्वारन्टाईन सुविधाओं के लिऐ चिन्हित/उपयोग किऐ गऐ प्रतिष्ठान

पास की व्यवस्था : संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इन्सीडेन्ट कमांडर द्वारा) या http://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेगें।

19/4/20

13- माल/परिवहन सेवाएं एवं परिवहन :

A. सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ लैब तकनीकीशियन, दाईयां तथा अन्य अस्पताल सपोर्ट सेवाएं एम्बूलेंस सहित का (अन्तर जिला और अन्तर्राज्यीय वायु सेवा सहित) आवागमन।

B. माल/कार्गो के (अन्तर जिला और अन्तर्राज्यीय) चढाने/उतराने व आवागमन की अनुमति निम्नानुसार होगी :

1- सभी माल वाहनों के चलने की अनुमति होगी।

2- रेल्वे का संचालन पार्सल व माल का परिवहन ट्रेन।

3- राहत और निकासी तथा कार्गो के वाय परिवहन के लिए हवाई अड्डो व संबंधित सुविधाओं का संचालन।

4- कार्गो ट्रांसपोर्ट केलिए अन्तर्देशीय कन्टेनगर डिपो (आई.सी.डी.) का संचालन जिसमें अधिकृत कस्टम (सीमा शुल्क) क्लीयरिंग और अग्रेषण एजेन्ट शामिल होंगे।

5- पैट्रोलियम उत्पादों एवं एलपीजी, खाद उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं के क्रॉस लेण्ड बॉर्डर परिवहन के लिए भूमि बन्दरगाहों का संचालन।

6- सभी प्रकार के माल वाहक ट्रकों तथा अन्य माल वाहकों का दो वाहन चालक एवं एक हैल्पर सहित आवागमन इस शर्त के साथ कि ड्राईवर के पास वैध अनुज्ञा पत्र हो। खाली ट्रक/वाहन को माल की डिलिवरी व सामान लेने के लिए अनुमति दी जायेगी।

C. अन्तर्राज्यीय व राज्य के भीतर संयुक्त कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों जैसे संयुक्त हार्वेस्टर (Combined harvester) और अन्य कृषि व उद्यानिकी औजार (Implements)

D. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुसार क्वारेंटाईन पूरा करने पर पारगमन यात्रा की व्यवस्था, भारत में विदेशी नागरिकों के लिए/विदेशों से लौटने वाले भारतीयों हेतु।

E. निम्नलिखित मामलों में व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति होगी '

i. चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपात कालीन सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी वाहन। ऐसे मामलों में चार पहिया वाहनों के मामलों के निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को पीछे की सीट पर अनुमति होगी तथापित दुपहिया वाहन में वाहन चालक को ही अनुमति होगी।

ii. अनुमत श्रेणी के सभी कार्मिकों को घर से कार्य स्थल और कार्य स्थल से घर आने-जाने की अनुमति।

F. आपातकालीन आपवादिक मामलों में जिला प्रशासन या पुलिस की अनुमति से वाणिज्यिक व निजी वाहनों का अन्तर्राज्यीय आवागमन।

G. ऑन ड्यूटी सरकारी वाहन (अनुबंधित सहित)

H. अग्नि, कानून व्यवस्था, आवश्यक एवं आपात सेवाऐं।

पास व्यवस्था : ऑनलाईन पास हेतु राज ऑनलाईन पास हेतु राजकॉप सिटीजन एप से ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेंगे।

19/4/2020

जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अस्पतालों के निकट बदलते हुए क्रम में टैक्सी/ऑटो की उपलब्धता के लिए एक छोटे पूल की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था बीमार एवं सहयोगी व्यक्ति के अस्पताल से घर जाने के लिए की जायेगी। इसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था घर से अस्पताल हेतु भी की जाये। इसका प्रबन्धन स्थानीय पुलिस द्वारा किया जायेगा।

उक्त समस्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु गृह विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.03.2020 में उल्लेखित अनुसार होगी। समस्त संबंधित अधिकारी उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे। इन्सीडेन्ट कमांडर (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) अपने संबंधित क्षेत्र में प्रभावी निगरानी एवं पालना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रति दिन की प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे।

उक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1867, राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957 के तहत् राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.03.2020 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

((चेतन देवड़ा)
जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
चित्तौड़गढ़

क्रमांक/विकास/कोरोना/2020/ 621 — दिनांक 19 अप्रेल, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुरश
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़
2. अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन/भू.अ.), चित्तौड़गढ़
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़
4. सचिव, नगर विकास न्यास,/उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला चित्तौड़गढ़
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़
7. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (एनएच), उदयपुर
8. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़/उदयपुर
9. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (एनएच), खण्ड बांसवाड़ा
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामा.चिकि., चित्तौड़गढ़
11. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको/उप श्रम आयुक्त, चित्तौड़गढ़
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा./मा.), चित्तौड़गढ़
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण.............................
14. समस्त तहसीलदार/विकास अधिकारी, पं.स., जिला चित्तौड़गढ़
15. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद/पालिकाएं, जिला चित्तौड़गढ़
16. संबंधित व्यवस्थापक, मैरिज गार्डन/पैलेस/धर्मशाला/होटस .... द्वारा आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद/पालिकाएं, जिला चित्तौड़गढ़
17. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चित्तौड़गढ़

19/4/20
जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
चित्तौड़गढ़